



न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद-सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-368/ 2025

पराग आदि	बनाम	बाबू आदि।
वाद की प्रकृति	स्थायी स्थगन	
वाद का मूल्यांकन	120/-रुपये	
अधिवक्ता का नाम	श्री बृजेन्द्र सहाय श्रीवास्तव	
वाद प्रस्तुत किये जाने की तिथि	30.10.2025	

यह वाद-पत्र वादीगण द्वारा वास्ते स्थायी स्थगन उनके विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सहाय श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुन्सरिम आख्यानसार वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, तदनुसार न्यायशुल्क अदा है। अतः वाद मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/दाखिल लिखित उत्तर/ विरचन वादबिन्दु दिनांक-04.12.2025 को पेश हो।

(रोहित पुरी)

सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2

वादीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र 6ग2 मय शपथ-पत्र 7ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर वादीय भूमि गाटा संख्या-646क क्षेत्रफल 0.334हे० स्थित ग्राम छतौनी, परगना को०द०, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर पर कब्जा व कोई निर्माण करने से प्रतिवादीगण को मना किये जाने की याचना की गयी है।

वादीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी सूची सबूत कागज संख्या-8ग1 से एक किता एक किता उद्धरण खतौनी गाटा संख्या-646क स्थित ग्राम छतौनी, परगना को०द०, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर कागज संख्या-9ग1, एक किता खसरा नकल गाटा संख्या-646क स्थित ग्राम छतौनी, परगना को०द०, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर कागज संख्या-10ग1 एवं पृथक से दो किता वादीगण के आधार कार्ड की छायाप्रतियाँ क्रमशः कागज संख्या-11ग1 लगायत 11ग1/2 दाखिल पत्रावली की गयी हैं।

कार्यालय की आख्यानसार प्रस्तुत मामले में कैबिएट दाखिल नहीं है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुने प्रार्थना-पत्र 6ग2 पर कोई भी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। प्रतिवादीगण को नोटिस दिनांक-04.12.2025 हेतु जारी हो। वादीगण आवश्यक पैरवी करें। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2/ लिखित उत्तर/ विरचन वादबिन्दु दिनांक-04.12.2025 को पेश हो।

(रोहित पुरी)

सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,
सीतापुर।